# केन्द्रीय मुहर विभाग- III

हमारा संदर्भ- केन्द्रीय मुहर विभाग-3/16: IS 4003 (Part 2)

11 01 2018

## विषय- आई एस IS 4003 (Part 2) : 1986 के संशोधन नंबर 2 का अन्पालन

- 1. आई एस IS 4003 (Part 2) : 1986 के संशोधन नंबर 2 प्रकाशित किया गया है। इस संशोधन को लागू करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गया है।
- 2. इस संशोधन के कार्यान्यवन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन कि आवश्यकता नहीं है।
- 3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्यवन के बारे सूचित करें।

(अमित कुमार) वैज्ञानिक 'सी' (सी एम डी-III)

## प्रमुख (सी एम डी-III)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

आई टी एस विभाग – बीआईएस इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतू

### **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-III**

Our Ref: CMD-3/16: IS 4003 (Part 2)

11 01 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 02 to IS 4003 (Part 2): 1986 – Specification for Pipe Wrenches –Part 2 Heavy Duty (First Revision)".

- 1. Amendment No. **02 to IS 4003 (Part 2): 1986** has been published. It has been decided to implement the amendment with immediate effect.
- 2. For implementation of this amendment no change is required in the existing STI.
- 3. All BOs shall inform the Licensees under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Amit Kumar) Sc. 'C' (CMD-III)

#### **Head (CMD-III)**

Circulated to all RO/BO

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet.